

कार्यालय निदेशाक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डी गढ़

आदेशा क्रमांक 23/136-2002 वि 18 28 दिनांक चण्डी गढ़ 27-3-2003

धरम पब्लिक स्कूल पलवल पुरोदा बाद को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कम्प्यूनिटी सैन्टर एत बिहार नई दिल्ली से शैक्षणिक सत्र 2002-03 से मैट्रिक स्तर तक को सम्बद्धता लेने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान किया जाता है:-

1. इस विद्यालय को भूमि / एबन्धक कमेटी के विरुद्ध कोर्ट केस / शिकायत लम्बित ना हो ।
2. हरियाणा एजुकेशन एक्ट 1995 तथा इसके तहत बनाये जा रहे नियमों के अनुसार हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करनी होगी ।
3. हरियाणा एजुकेशन एक्ट 1995 के तहत जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे ।
4. हरियाणा शिक्षा विभाग के निर्देशा / दिवायती को पालना करना होगा ।

सुरो ना राजन
निदेशाक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा
चण्डी गढ़

पृष्ठ ठांकन क्रमांक सम दिनांक चण्डी गढ़ 31.3.2003

इसको एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी पुरोदा बाद को 3 नके प्रक्रमांक जे.ए.-2002/2199 दिनांक 3-7-2002 के सदर्भ में भेजी जाते है ।
2. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कम्प्यूनिटी सैन्टर एत बिहार नई दिल्ली - 110019.

सम्बन्धित विद्यालय को प्राचार्य ।

Attested
[Signature]
Principal
Dharam Public School
Palwal-121102 (Hr.)

Attested
उपअधीक्षक विद्यालय-1
पुरोदा निदेशाक सैकण्डरी शिक्षा हरि